

डॉ० भीमराव अम्बेडकर के विचार एवं नारी शिक्षा: एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण

Dr. Bheemrao Ambedkar's View and Women Education : A Sociological Analysis

Paper Submission: 15/09/2020, Date of Acceptance: 28/09/2020, Date of Publication: 29/09/2020

सारांश

शिक्षित व्यक्ति एक बेहतर समाज का निर्माण करते हैं। शिक्षा व्यक्ति के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करती है और उन्हें इस लायक बनाती है कि वे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक प्रस्थिति में सुधार करने के साथ-साथ समाज अपनी में परिवर्तन एवं विकास के चक्र की गति दे सके। शिक्षा वह सीढ़ी है जो सम्पूर्ण मानवता को सम्यता के उच्च शिखर पर पहुँचाती है। मानव जीवन का विकास शिक्षा पर ही निर्भर है। शिक्षा के माध्यम से ही मानव की दिशाहीन मूल प्रवृत्तियों को उचित मार्गदर्शन मिलता है। लेकिन ये तभी सम्भव है जब 'शिक्षा' समाज के सभी वर्गों, तबको तक पहुँचे खासकर महिला वर्ग तक। देश की आबादी में आधा योगदान महिलाओं का है, ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि महिलाओं की शिक्षा पर भी उसी प्रकार से अहमियत एवं जोर दिया जाए जिस प्रकार से पुरुष एवं बालकों की शिक्षा को दिया जाता है। शिक्षा सशक्तीकरण का एक अहम साधन है।

डॉ० भीमराव अम्बेडकर ने महिलाओं के उत्थान, कुप्रथाओं के अन्त, महिलाओं की शिक्षा, महिलाओं के अधिकारों के लिए जीवन भर कार्य किया। अम्बेडकर जी शिक्षा के माध्यम से महिलाओं की मुक्ति में विश्वास रखते थे। प्रस्तुत शोध पत्र में भारत में महिला प्रस्थिति के वर्तमान प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया जायेगा, साथ ही नारी शिक्षा सम्बन्धी अम्बेडकर के दूरदर्शी विचारों की वर्तमान परिस्थितियों में प्रासंगिकता का विश्लेषण किया जायेगा।

Educated individuals build a better society. Education develops the entire personality of the individual and makes them worthy that they can speed up the cycle of change and development in society along with improving social, economic, cultural, political status. Education is the ladder which It takes the whole of humanity to the highest peak of civilization. The development of human life is dependent on education. It is through education that proper guidance is given to the directionless basic tendencies of human beings. But this is possible only when 'education' reaches all sections of the society, especially women. Women contribute half of the country's population, in such a situation, it is necessary to emphasize the importance of women's education in the same way as the education of men and children. Education is an important means of empowerment.

Dr. Bhimrao Ambedkar worked throughout his life for the upliftment of women, the end of evil practices, women's education, women's rights. Ambedkar believed in the emancipation of women through education. The present research paper will analyze the current trends of female status in India, as well as the relevance of Ambedkar's visionary ideas related to women's education in the current circumstances.

मुख्य शब्द : शिक्षा, नारी शिक्षा, सशक्तीकरण, महिला अधिकार, शिक्षा सम्बन्धी डॉ० अम्बेडकर के दूरदर्शी विचार, उच्चतर शिक्षा में महिलाओं की सहभागिता, लैंगिक समानता।

Dr. Ambedkar's visionary views on education, women's education, empowerment, women's rights, education, women's participation in higher education, gender equality

जिया जाफरी

शोधार्थी,

समाजशास्त्र विभाग,

लखनऊ विश्वविद्यालय,

लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत

प्रस्तावना

भारतीय संविधान में "शिक्षा" को सबसे प्रमुखता दी गई है। किसी भी विकसित देश की नींव तभी मजबूत होती है जब वहां की जनसंख्या शिक्षित हो और उसमें भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि उस समाज की महिलायें शिक्षित हो तभी समाज का उचित विकास संभव है। क्योंकि यदि एक महिला शिक्षित होगी तो उससे पूरा परिवार भी शिक्षित होगा। "पढ़ी-लिखी लड़की, रोशनी घर की" शिक्षित महिलायें इस कहावत को बाखूबी चरित्रार्थ करती हैं। महिलाओं की प्रस्थिति में सुधार लाने के लिए जो विश्व भर में आन्दोलन एवं कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उन सबमें सर्वाधिक महत्व शिक्षा को दिया जा रहा है। शिक्षा को एक ऐसे औजार के रूप में देखा जा रहा है जिसके जरिये महिलाओं की सामाजिक प्रस्थिति में बदलाव लाया जा सकता है। शिक्षा सशक्तीकरण के एक अतिमहत्वपूर्ण साधन के रूप में पहचानी जा रही है। शिक्षा विभिन्न प्रकार की सूचनाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करती है। किसी भी समाज में महिलाओं की शैक्षिक प्रस्थिति उस समाज के विकास एवं प्रगति के मार्ग की दिशा एवं दशा को निर्देशित करती है। नारी शिक्षा किसी भी समाज के लिए अति महत्वपूर्ण है, इसी महत्ता को देखते हुए डॉ० भीमराव अम्बेडकर ने नारी को शिक्षित करने पर बल दिया एवं महिलाओं की शिक्षा में भागीदारी बढ़ाने के लिए अनेक संवैधानिक प्रयास किए। भारत सरकार ने भी महिला शिक्षा महत्व को स्वीकारते हुए इस दिशा में एक दृढ़ संकल्प के साथ कदम उठाये, परन्तु इन सबके बावजूद आज भी भारत एशिया के उन देशों में से है जहां महिला साक्षरता दर निम्नतर है। इसलिए इस सन्दर्भ में योजना बनाने वालों को कुछ और सकारात्मक कदम उठाने की जरूरत है।

भारतवर्ष में महिला शिक्षा सदैव एक चुनौती की तरह मौजूद रही है। वर्ष दर वर्ष महिला शिक्षा के सरकारी आंकड़ों में सुधार हुआ। सन् 1951 में 18.3 प्रतिशत से बढ़कर सन् 2011 में ये 65.4 प्रतिशत तक पहुँच गया है, परन्तु शत-प्रतिशत साक्षरता का लक्ष्य हासिल करना अभी शेष है। पिछले दो दशकों में महिला सहभागिता चाहे हम प्राथमिक स्तर की बात करें या माध्यमिक या उच्च माध्यमिक स्तर की, इन सभी स्तरों पर महिला सहभागिता में उत्तरोत्तर वृद्धि देखने को मिली है।

वैदिक काल में जो शिक्षा व्यवस्था पाई जाती थी, वह गुरुकुल व्यवस्था थी, जिसके अन्तर्गत शिक्षा ग्रहण करने की इच्छा रखने वाले व्यक्तिजन को गुरु की अनुमति मिल जाने पर गुरु के ही आश्रम में रहकर शिक्षा अर्जन करता था, गुरु अपने शिष्य को गुरुकुल में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से सम्बन्धित ज्ञान प्रदान करता था, जिसमें संस्कृत से लेकर वैदिक श्लोक, गणित से लेकर तात्विक ज्ञान तक प्रदान किया जाता था (कुमार, 2014)। वैदिक काल में महिलाओं को भी शिक्षा ग्रहण करने की पूरी स्वतंत्रता थी, परन्तु कालान्तर में उनकी इस स्वतंत्रता पर ग्रहण लगता चला गया और उनका कार्य क्षेत्र कुछ विशेष कर्मकाण्डों, सांस्कृतिक-आध्यात्मिक रीति-रिवाजों तक सीमित कर दिया गया (नायक, 1978)।

ब्रिटिशकाल में महिला शिक्षा पर फिर से ध्यान दिया जाने लगा जोकि वैदिक काल के बाद से पूर्ण अपेक्षित रही थीं। महिलाओं हेतु शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ब्रिटिशकाल में अनेक सामाजिक-धार्मिक आन्दोलन चलाए गए, जिसके परिणामस्वरूप शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं के प्रस्थिति में तुलनात्मक रूप से सुधार आया। 1947 में स्वतंत्रता के पश्चात् भारतीय सरकार ने महिला शिक्षा के उत्थान एवं सभी भारतीय महिलाओं को शिक्षा उपलब्ध कराने के अनेक उपाय किए, विधेयक बनाये (जितेन्द्र, 2013)।

डॉ० भीमराव अम्बेडकरजो न केवल भारतीय संविधान के निर्माता हैं बल्कि एक महान बौद्धिक हस्ती और आधुनिक भारत के सामाजिक पुनर्निर्माण के अग्रणी हैं इन्होंने भारतीय समाज में महिलाओं की दयनीय स्थिति को सुधारने और उनकी शिक्षा के लिए काफी संघर्ष किया। इन्होंने न केवल जमीनी स्तर पर पुरजोर मेहनत की बल्कि उन शास्त्रों एवं प्रथाओं के प्रतिरोध में काफी गहनता से लिखा जो समाज में लैंगिक विषमता को बल देते हैं। डॉ० अम्बेडकर ने अपने लेख में महिला एवं पुरुष की समानता एवं न्याय की सदा बात की और सामाजिक व्यवस्था में हद तक समाई हुई महिलाओं की अधीनस्थता और गैर बराबरी दर्जे का पुरजोर विरोध मिलता है। उदाहरणार्थ, "The Rise and fall of Hindu Women", "The Women and counter Revolution" 1987, "The Riddles of Hindu Women" इत्यादि।

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य भारत में महिला प्रस्थिति के वर्तमान प्रवृत्तियों का विश्लेषण करना, साथ ही नारी शिक्षा सम्बन्धी अम्बेडकर के दूरदर्शी विचारों की वर्तमान परिस्थितियों में प्रासंगिकता का विश्लेषण करना है।

किसी भी समाज का विकास समाज का निर्माण करने वाली इकाइयों के विकास पर निर्भर करता है। किसी भी समाज की कल्पना नारी के बिना असम्भव है। हमें इतिहास में ऐसा कोई समाज नहीं मिलता जहाँ नारी का अस्तित्व न हो। फिर भी नारी सदा से उपेक्षित रही उसको वह दर्जा, वह मकाम कभी नहीं मिला जिसकी वह अधिकारी हैं। हमारे भारतीय समाज में पुरुषों को सदा ऊँचे दर्जे पर और महिला को दोगुने दर्जे पर रखा गया। उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अधिकारों पर पुरुषों ने अपना आधिपत्य जमाया और महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखा। वर्ष दर वर्ष महिला प्रस्थिति बद से बदतर होती देख समाज सुधारकों ने इसके लिए आवाज उठाई। इन समाज सुधारकों में डॉ० भीमराव अम्बेडकर का नाम अग्रणी है। डॉ० भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए कठोर परिश्रम किया है। और भारतीय समाज में बराबरी कायम करने के लिए बन्धुत्व, स्वतंत्रता और समानता जैसे लोकतांत्रिक विचारों को अपनाने पर बल दिया और इस दिशा में प्रभावी कदम भी उठाये।

अम्बेडकर ने अपने एक आर्टिकल "The Rise and fall of Hindu Women" में प्राचीन भारत में महिलाओं

की प्रस्थिति पर ऐतिहासिक अध्ययन किया और उन आधारभूत कारणों की खोज की जो महिलाओं की प्रस्थिति को निम्न बनाने के लिए उत्तरदायी हैं। भीमराव अम्बेडकर हमारा ध्यान ये कहकर आकर्षित करते हैं कि मनुकाल से पूर्व महिलाओं को बौद्धिक एवं सामाजिक क्षेत्र में उच्च स्थान प्राप्त था, बालिकाओं का भी 'उन्नयन संस्कार' होता था, उन्हें भी वेदों का अध्ययन, मंत्रोच्चारण करने एवं गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने की स्वतंत्रता थी। मनुकाल से पूर्व हिन्दु समाज में महिलाओं को सम्मानजनक प्रस्थिति प्राप्त थी, उन्हें भी पुरुषों की तरह समान अधिकार प्राप्त थे चाहे बात शिक्षा की हो, विवाह की, पुनर्विवाह की या आर्थिक आत्मनिर्भरता की। परन्तु मनुस्मृति के प्रभाव में जब से महिलाओं को सीमित किया जाने लगा समाज में महिलाओं की प्रस्थिति निम्नतर होती चली गई। मनुस्मृति में महिलाओं को विश्वास के काबिल नहीं बताया गया साथ ही महिलाओं को तलाक वेदों के अध्ययन इत्यादि के अधिकारों से वंचित रखने तथा उनके साथ सेवकों के समान व्यवहार करने की बात कही गई। मनुस्मृति में वर्णित इन विचारों का अम्बेडकर ने विरोध किया तथा "शास्त्र, जाति एवं संगोत्र विवाह" को पितृसत्तात्मक भारतीय हिन्दु समाज में महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार एवं महिलाओं की निम्न प्रस्थिति के लिए उत्तरदायी माना है।

बी० आर० अम्बेडकर अपने अधीनस्थवादी उपागम के लिए जाने जाते हैं, इन्होंने महिलाओं का अध्ययन इसी परिप्रक्ष्य से किया है। अम्बेडकर एक ऐसे समाज सुधारक थे जिनकी कार्यविधि अन्य समाजसुधारकों यथा— राजाराम मोहन राय, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, महात्मा गाँधी से पूर्णता अलग थी। क्योंकि इन सुधारकों ने जहाँ समाज में व्याप्त कुप्रथाओं पर चोट की वहीं अम्बेडकर ने सम्पूर्ण संस्तरणात्मक सामाजिक व्यवस्था पर प्रश्न उठाये। अम्बेडकर ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था में वैचारिकी धरातल पर विद्यमान संस्तरणात्मक जाति व्यवस्था, जोकि समाज को असमान खण्डों में विभाजित करती है तथा हिन्दु समाज में महिलाओं की स्वतंत्रता और अस्तित्व को चुनौती देने वाले वैचारिक आधारों को चुनौती देते हुए इस दिशा में सकारात्मक योगदान जीवनपर्यन्त दिया। इनका साधारण सा तर्क था कि समाज तर्क से संचालित होना चाहिए न कि किन्हीं पुस्तक में वर्णित प्रथा या जाति व्यवस्था के आधार पर। अम्बेडकर ने महिलाओं की निम्न प्रस्थिति की ओर समाज का ध्यान आकर्षित करने तथा उनकी प्रस्थिति में सुधार लाने के प्रति जागरुकता विकसित करने के उद्देश्य से 1920 में "मूक नायक" नाम से समाचारपत्र का प्रकाशन प्रारम्भ किया जो महिलाओं की स्वतंत्रता के प्रति समर्पित था। इसी श्रृंखला में 1927 में "बहिष्कृत भारत" अगली कड़ी था। इन समाचारपत्रों में अपनी लेखनी के जरिये अम्बेडकर ने भारतीय समाज में विद्यमान लैंगिक विषमता के मुद्दे को जोर शोर से उठाया और महिलाओं की सामाजिक प्रस्थिति में सुधार के लिए शिक्षा की अहमियत से लोगों को रुबरु कराया। अम्बेडकर ने महिलाओं के उन्नयन हेतु काफी आन्दोलनों का संचालन किया जिसमें महिला वर्ग ने भी बढ़-चढ़ कर भागीदारी निभाई।

डॉ० अम्बेडकर ने बाम्बे लेजिस्लेटिव काउन्सिल के सदस्य के रूप में काउन्सिल के सन्मुख भारतीय महिलाओं की समस्याओं को रखा, उन पर चर्चा की तथा उनके निदान हेतु कार्य किया। 1928, जनवरी में बाम्बे में एक महिला समिति का निर्माण किया जिसकी प्रमुख रमाबाई, अम्बेडकर की पत्नी थी। अम्बेडकर ने महिलाओं की स्वतंत्र एवं भयरहित होकर अपने विचार एवं भावनाओं, समस्याओं को समाज के सामने रखने हेतु सशक्त किया। और अपने सामाजिक, आर्थिक, संवैधानिक, शैक्षिक अधिकारों को हासिल करने हेतु जागरुक एवं प्रेरित किया, इसी संदर्भ में 1931 में सम्पन्न वह प्रेस कान्फ्रेंस उल्लेखनीय है जिसको संबोधित करते हुए राधाबाई वाडले ने हिन्दु मन्दिरों में प्रवेश, सामाजिक जल स्रोतों के प्रयोग, राजनीति में सहभागिता के अधिकार की मांग करते हुए जेल भरने का आह्वान किया। अपने आत्मसम्मान की रक्षा हेतु महिलाओं में इस जोश, दृढ़ निश्चय का संचार बी० आर० अम्बेडकर एवं उनकी विचारधारा ने किया। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री बनने पर बी० आर० अम्बेडकर ने 5 फरवरी, 1951 में भारतीय संसद में हिन्दु कोड बिल प्रस्तावित किया, जिसके पारित न होने पर भारत के कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। महिलाओं को समान अधिकार दिलाने, विवाह, पुनर्विवाह, विवाह-विच्छेद संबंधी पुरातन कानूनों में संशोधन करके कानूनों को नए ढंग से संहिताबद्ध करने की पहल की, जिसका एकमात्र उद्देश्य सभी नागरिकों को अधिकार उपलब्ध कराना था।

भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में अम्बेडकर ने भारतीय महिलाओं के अधिकारों से संबंधित कानून बनाने पर काफी तवज्जो दी और भारतीय संविधान को कई अति महत्वपूर्ण नियम/कानून दिए, यथा; अनुच्छेद 14. सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में समान अवसर एवं अधिकार।

अनुच्छेद 15

लैंगिक आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव का निषेध।

अनुच्छेद 39

जीविकोपार्जन के समान साधनों की उपलब्धता तथा समान कार्य के लिए समान भुगतान।

अनुच्छेद 42

कार्यस्थल पर मानवीय स्थितियां एवं मातृत्व अवकाश।

पहले जहाँ उच्चतर शिक्षा केवल पुरुषों तक सीमित थी, डॉ० भीमराव अम्बेडकर के अथक प्रयासों से उच्चतर शिक्षा के द्वार महिलाओं के लिए भी खुले। महिलाओं की शिक्षा के लिए अम्बेडकर ने संवैधानिक रूप से उन्हें अधिकार प्रदान करने के लिए काफी संघर्ष किया। उन्हीं के प्रयासों का नतीजा है कि भारतीय महिला शिक्षा के क्षेत्र में आज हर जगह अपनी सफलता के झण्डे गाड़ रही हैं। मद्रास विश्वविद्यालय में 1979 में "महिलाओं हेतु उच्चतर शिक्षा" पर गठित आयोग ने ये स्पष्ट किया कि चरित्र निर्माण, जीविकोपार्जन, स्वप्रस्तुतीकरण एवं व्यक्तित्व के विकास इत्यादि लक्ष्यों को हासिल करने के लिए पुरुष के साथ महिलाओं के लिए भी महाविद्यालयी शिक्षा अति आवश्यक है।

भारतवर्ष में कन्याओं की एक बड़ी संख्या ऐसी है जो विद्यालय नहीं जाती। और काफी बड़ी संख्या ऐसी है जो विद्यालयी शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात् महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लेती, इसके बजाये वे घर पर खाली बैठती हैं/या बिठा दी जाती हैं अथवा उनका विवाह कर दिया जाता है। उच्च शिक्षा की ओर बहुत कम बालिकायें ही जाती हैं/या जा पाती हैं। इसके क्या प्रमुख कारण हैं वह अलग शोध का विषय है। शिक्षा आयोग ने हर स्तर पर महिला शिक्षा की आवश्यकता को स्वीकारा और इसको प्रोत्साहित करने की सिफारिश की, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में। यदि हम तुलनात्मक रूप से देखें तो पिछले कुछ दशकों में महिला शिक्षा के क्षेत्र में भारत ने काफी सराहनीय प्रगति दर्ज की है।

राधाकृष्णन कमीशन 1948-49 ने अपनी रिपोर्ट में महिला शिक्षा पर जोर देते हुए स्पष्ट किया कि शिक्षित महिला प्रत्येक कार्य क्षेत्र में शिक्षित पुरुष के समान कुशलतापूर्वक एवं सफलतापूर्वक कार्य करके दिखा सकती है, वह किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं है, केवल आवश्यकता इस बात की है कि महिला को भी शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराये जायें, उसके अन्दर प्रतिभा का समन्दर है जिसका प्रकटीकरण शिक्षा के माध्यम से ही संभव है।

निम्न तालिका के माध्यम से 1950-51 से 2005-06 के बीच हुई उच्चतर शिक्षा में महिला छात्राओं की वृद्धि को स्पष्ट किया जा सकता है-

1950-51 से 2005-06 उच्चतर शिक्षा में महिलाओं की सहभागिता तालिका

वर्ष	पुरुष (000s) प्रति हजार	महिला (000s) प्रति हजार	कुल पंजीकरण (000s) प्रति हजार	कुल छात्रों में महिला छात्राओं का प्रतिशत
1950-51	157	17	174	10.00
1955-56	252	43	295	14.60
1960-61	468	89	557	16.00
1965-66	849	218	1067	20.40
1970-71	1563	391	1954	20.00
1975-76	2131	595	2426	24.50
1980-81	2003	749	2752	27.20
1985-86	2512	1059	3571	29.60
1990-91	2986	1439	4425	32.50
1995-96	4235	2191	6426	34.10
2000-01	4988	3012	8001	37.60
2005-06	6562	4466	11028	40.50

स्रोत: उच्चतर शिक्षा में महिलाओं का पंजीकरण (Selected Educational Statistics 2005-06; विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, वार्षिक रिपोर्ट, विभिन्न वर्षों की)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, उच्चतर शिक्षा में पंजीकृत 169.75 लाख छात्रों में से लगभग 70.40 लाख महिला छात्राओं की संख्या है। जोकि सन् 2006-07 में 47.08 लाख थी।

यह आंकड़े दर्शाते हैं कि उच्चतर शिक्षा में महिलाओं की सहभागिता में उत्तरोत्तर वृद्धि देखने को मिली है। उच्चतर शिक्षा में महिलाओं की सहभागिता को बढ़ाने में जिन मुख्य कारकों की भूमिका रही है, वह हैं-

1. डॉ० भीमराव अम्बेडकर के महिला शिक्षा की महत्ता के प्रति समाज में फैलाई जागरूकता।
2. अम्बेडकर के विचारों से प्रभावित होकर सरकार ने भी स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काफी योजनायें चलाई हैं। जिसके क्रियान्वयन से महिलायें शिक्षा के प्रति आकर्षित हुईं।
3. बड़ी संख्या में उच्च शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करके सरकार महिलाओं को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के समान अवसर मुहैया कराने के लिए प्रयासरत है।
4. सरकार छात्राओं के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति संबंधी योजनायें चला रही है, जिसके माध्यम से गरीब परिवार की कन्याएं भी उच्च शिक्षा ग्रहण करने में सक्षम हो रही हैं।

अम्बेडकर के विचारों की प्रासंगिकता

अधीनस्थवादी परिप्रेक्ष्य के अटल प्रवक्ता डॉ० भीमराव अम्बेडकर के सामाजिक व्यवस्था विशेषकर महिलाओं की प्रस्थिति के संदर्भ में जो अमूल्य विचार प्रकट किए अनकी प्रासंगिकता आल भी बनी हुई है।

हिन्दु समाज में वैचारिक धरातल पर संचालित लैंगिक असमानता के विरोध में अम्बेडकर ने न केवल आवाज उठाई बल्कि समाज के बौद्धिक वर्ग से लेकर सामान्य वर्ग तक में इसके प्रति जागरूकता उत्पन्न की। किसी भी समाज का विकास उसकी इकाइयों के विकास एवं योगदान पर निर्भर करता है। और समाज के निर्माण में पुरुषों के समान महिलाओं की भी समान भागीदारी होती है। देश की आधी आबादी के विकास को यदि अनदेखा किया जायेगा तो इससे सम्पूर्ण समाज का विकास अवरुद्ध होगा।

अम्बेडकर ने जो महिलाओं की समानता, स्वतंत्रता, शिक्षा के अधिकार के लिए योगदान दिया वह अविस्मरणीय है। महिलाओं के अधिकारों की वकालत करके अम्बेडकर ने समाज के पुनर्निर्माण की संकल्पना को बल दिया। और एक समाज के निर्माण को बल मिला जिसमें लोकतान्त्रिक विचारों यथा, स्वतंत्रता, समानता,

बन्धुत्व को महत्व दिए जाने को अहमियत दी जाती है। अम्बेडकर आधुनिक भारत के उन महान विचारकों में से एक हैं जिन्होंने जीवनपर्यन्त भारतीय महिलाओं की स्वतंत्रता, उनकी शिक्षा के हक में आवाज उठाई और इस दिशा में सराहनीय प्रयास किये। भारतीय समाज में जागरूकता लाने और भारतीय सामाजिक व्यवस्था में हद तक समाई असमानता को समाप्त करने एवं समाज में नवीन व्यवस्था के निर्माण में अहम भूमिका निभाई है।

निष्कर्ष

ये तथ्य सर्वविदित है कि महिलाएं किसी भी प्रकार से पुरुषों से कम नहीं हैं, किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं। महिलाओं में भी उतनी ही योग्यता एवं विलक्षणता है जितनी पुरुषों में। केवल आशयकता इस बात है कि उन्हें भी पुरुषों की भांति शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराये जाएं, उनकी प्रतिभा को भी निखरने का मौका दिया जाए।

भारतवर्ष का यही दुर्भाग्य रहा कि देश की आबादी की शिक्षा को अनदेखा किया गया और इस अनदेखी को डॉ० भीमराव अम्बेडकर ने रेखांकित किया और इस कमी को दूर करने के लिए काफी संघर्ष किया सामाजिक एवं संवैधानिक दोनों ही स्तरों पर। और आज उनके प्रयासों का ही नतीजा है कि उच्चतर शिक्षा में पंजीकृत 169.75 लाख छात्रों में से 70.49 लाख पंजीकरण महिलाओं के हैं (यूजीसी रिपोर्ट, 2010-11)।

भारतीय समाज जो कि एक पुरुषप्रधान समाज रहा है, जिसमें महिलाओं को अपना मत रखने के भी बहुत कम अवसर मिलते थे, ऐसे समाज में डॉ० भीमराव अम्बेडकर ने महिला शिक्षा के लिए आवाज बुलन्द की। समाज की पुरातन सोच को बदलने में अहम भूमिका निभाई है, जिसका सकारात्मक नतीजा उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट है। डॉ० भीमराव अम्बेडकर ने एक युग आन्दोलन की शुरुआत की थी, जिसे अभी और आगे जाना है।

नारी कोई पुनरुत्पादन कह मशीन नहीं, बल्कि समाज की एक प्रकार्यात्मक इकाई है। जो किसी भी मुद्दे पर पुरुषों से कम नहीं है। देश के विकास और प्रगति की संकल्पना इनको शिक्षित किए बिना पूरी नहीं हो सकती। महिलाओं की क्षमता का भरपूर प्रयोग करने के लिए उच्च शिक्षा में इनकी सहभागिता को बढ़ाने की जरूरत है।

References

1. *Selected Educational Statistics 2005-06; University grant commission, Annual Report, various years.*
2. *Jitendra, M.S. 2013. "Status of Women Education in India". Education c. Journal, April. 162-176.*
3. *Kumar. 2014. The Education system in India. Retrieved from GNU operating system:*

http://www.gnu.org/education/edu_system_india.html#sasi.

4. *Naik, J.P. 1978. "Educational reform in India: A historical review". 1-2.*
5. *Pujar, U. 2014. "Trends in Growth of Higher Education in India". IOSR Journal of Economics and Finance, 01-04.*
6. *Velkoff, V.A. 1998. Women of the World, Women education in India. International Programs Center.*
7. *Keer, Dhananjay (13 August 1971). Dr. Ambedkar: Life and Mission. Popular Prakashan. ISBN 9788171542376 – via Google Books.*
8. *Jaffrelot, Christophe (2005). Dr Ambedkar and Untouchability: Analysing and Fighting Caste. London: C. Hurst & Co. Publishers. p. 5. ISBN 1850654492.*
9. *Chandrababu, B. S.; Thilagavathi, L (2009). Woman, Her History and Her Struggle for Emancipation. Chennai: Bharathi Puthakalayam. pp. 297-298. ISBN 978-8189909970.*
10. *Dalmia, Vasudha; Sadana, Rashmi, eds. (2012). "The Politics of Caste Identity". The Cambridge Companion to Modern Indian Culture. Cambridge Companions to Culture (illustrated ed.). Cambridge University Press. p. 93. ISBN 978-0521516259.*
11. *Thorat, Sukhadeo; Kumar, Narender (2008). B. R. Ambedkar: perspectives on social exclusion and inclusive policies. New Delhi: Oxford University Press.*
12. *Ambedkar, B. R. (1979). Writings and Speeches. 1. Education Dept., Govt. of Maharashtra.*
13. *"Dr. Babasaheb Ambedkar". Maharashtra Navanirman Sena. Archived from the original on 10 May 2011. Retrieved 26 December 2010.*
14. *Kumar, Aishwary. "The Lies of Manu". outlookindia.com. Archived from the original on 18 October 2015.*
15. *"Annihilating caste". frontline.in. Archived from the original on 28 May 2014.*
16. *Menon, Nivedita (25 December 2014). "Meanwhile, for Dalits and Ambedkarites in India, December 25th is Manusmriti Dahan Din, the day on which B R Ambedkar publicly and ceremoniously in 1927". Kafila. Retrieved 21 October 2015.*
17. *"11. Manusmriti Dahan Day celebrated as Indian Women's Liberation Day" (PDF). Archived (PDF) from the original on 17 November 2015.*
18. *Keer, Dhananjay (1990). Dr. Ambedkar : life and mission (3rd ed.). Bombay: Popular Prakashan Private Limited. pp. 136-140. ISBN 8171542379.*